BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

अरावली पहाड़ियां: पारिस्थितिकी की रक्षा और सतत विकास सुनिश्चित कर रही हैं

21 दिसंबर, 2025

पृष्ठभूमि

भारत के उच्चतम न्यायालय ने नवंबर-दिसंबर 2025 के अपने आदेश में, 9/5/24 के आदेश द्वारा गठित समिति की सिफारिशों और खनन को विनियमित करने के संदर्भ में अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान नीति स्तर की परिभाषा के संबंध में 12/8/2025 के उसके आगे के निर्देशों पर विचार किया, और संबंधित राज्य सरकारों के विचारों को शामिल किया। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के वन विभागों के सचिवों के साथ-साथ भारतीय वन सर्वेक्षण, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाली समिति का नेतृत्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने किया। न्यायालय ने मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक बाधा, भूजल रिचार्ज क्षेत्र और जैव विविधता आवास के रूप में अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिक महत्व पर जोर दिया।

अरावली का महत्व

अरावली पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं भारत की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से हैं, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। ऐतिहासिक रूप से, इन्हें राज्य सरकारों द्वारा 37 जिलों में मान्यता दी गई है और इनकी पारिस्थितिक भूमिका को उत्तरी रेगिस्तानीकरण के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा और जैव विविधता और जल पुनर्भरण के रक्षक के रूप में देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि यहां अनियंत्रित खनन "देश की पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ा खतरा" है और इनकी सुरक्षा के लिए समान मानदंड लागू करने का निर्देश दिया है। इसलिए, इनका संरक्षण पारिस्थितिक स्थिरता, सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास के लिए बहुत जरूरी है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समिति रिपोर्ट के निष्कर्ष

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद एमओईएफएंडसीसी द्वारा बनाई गई समिति ने राज्य सरकारों के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत की, जिसमें यह सामने आया कि सिर्फ राजस्थान में ही अरावली में खनन

को विनियमित करने के लिए एक औपचारिक परिभाषा है। यह परिभाषा राज्य सरकार की 2002 की समिति रिपोर्ट पर आधारित थी, जो रिचर्ड मर्फी लैंडफ़ॉर्म वर्गीकरण पर आधारित थी। इसमें स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊपर उठने वाले सभी लैंडफ़ॉर्म को पहाड़ के रूप में पहचाना गया और उसके आधार पर, पहाड़ों और उनकी सहायक ढलानों दोनों पर खनन पर रोक लगाई गई। राजस्थान राज्य 9 जनवरी, 2006 से इस परिभाषा का पालन कर रहा है। चर्चा के दौरान, सभी राज्यों ने अरावली क्षेत्र में माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए "स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊपर" के उपरोक्त समान मानदंड को अपनाने पर सहमति व्यक्त की, जैसा कि 09.01.2006 से राजस्थान में लागू था, साथ ही इसे और अधिक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाने पर भी सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को घेरने वाले सबसे निचली सीमिता (कंटूर) के अंदर आने वाले सभी भू-आकृतियों को, उनकी ऊंचाई और ढलान की परवाह किए बिना, खनन की लीज देने के मकसद से बाहर रखा गया है। इसी तरह, अरावली रेंज को उन सभी भू-आकृतियों के रूप में समझाया गया है जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली दो आस-पास की पहाड़ियों के 500 मीटर के दायरे में मौजूद हैं। इस 500 मीटर के जोन में मौजूद सभी भू-आकृतियों को, उनकी ऊंचाई और ढलान की परवाह किए बिना, माइनिंग लीज़ देने के मकसद से बाहर रखा गया है। **इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी भू-आकृतियों में खनन की अनुमति है। उच्चतम न्यालाय द्वारा गठित समिति ने राजस्थान द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही परिभाषा में कई सुधारों का प्रस्ताव दिया ताकि इसे मजबूत बनाया जा सके और इसे अधिक पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और संरक्षण-केंद्रित बनाया जा सके:**

- स्थानीय राहत तय करने के लिए एक स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप से मजबूत मानदंड, जिससे सभी राज्यों में समान रूप से इसे लागू किया जा सके और पूरी पहाड़ी भू-आकृति को उसके आधार तक पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- पहाड़ी श्रृंखलाओं को स्पष्ट सुरक्षा, जो राजस्थान की परिभाषा में नहीं थी। समिति ने सिफारिश की कि एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में आने वाली पहाड़ियां एक श्रृंखला मानी जाएंगी और उसी के अनुसार उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए।
- किसी भी खनन गतिविधि पर विचार करने से पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शे पर अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की अनिवार्य मार्किंग।
- मुख्य/अछूते क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- टिकाऊ खनन को सक्षम करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन और अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी उपाय।

ऊपर बताए गए उपायों से "अरावली पहाड़ियों" और "अरावली रेंज" की एक साफ, मैप से सत्यापित की जा सकने वाली परिचालन परिभाषा पक्की होती है और एक नियामकीय तंत्र बनता है जो मुख्य/अछूते इलाकों की रक्षा करता है, नए खनन पर रोक लगाता है और अवैध खनन के खिलाफ़ सुरक्षा उपायों और लागू करने को मजबूत करता है। 20.11.2025 के अपने अंतिम फैसले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने समिति के काम की तारीफ की, जिसमें तकनीक समिति की मदद भी शामिल थी (आदेश का पैरा 33) और अरावली पहाड़ियों और रेंज में अवैध खनन को रोकने और सिर्फ टिकाऊ खनन की इजाजत देने के

बारे में उसकी सिफारिशों की भी तारीफ की (आदेश का पैरा 39)। उच्चतम न्यायालय ने इन सिफारिशों को मान लिया है और जब तक पूरे इलाके के लिए एमपीएसएम तैयार नहीं हो जाता, तब तक नई लीज पर अंतरिम रोक लगा दी है।

परिचालन परिभाषाएं

अरावली पहाड़ियां: अरावली जिलों में स्थित कोई भी भू-आकृति, जिसकी ऊंचाई स्थानीय राहत से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो, उसे अरावली पहाड़ियां कहा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, स्थानीय राहत को भू-आकृति को घेरने वाली सबसे निचली कंटूर रेखा के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा (जैसा कि रिपोर्ट में बताई गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार)। ऐसी सबसे निचली कंटूर द्वारा घेरे गए क्षेत्र के भीतर स्थित पूरी भू-आकृति, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक रूप से बढ़ाई गई हो, साथ ही पहाड़ी, उसके सहायक ढलान और संबंधित भू-आकृतियां, चाहे उनका ढलान कुछ भी हो, उन्हें अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा।

अरावली रेंज: जैसा कि ऊपर बताया गया है, दो या दो से ज़्यादा अरावली पहाड़ियां, जो एक-दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर हों, और जिनकी दूरी दोनों तरफ सबसे निचली कंटूर लाइन की बाउंड्री के सबसे बाहरी पॉइंट से मापी गई हो, मिलकर अरावली रेंज बनाती हैं। दो अरावली पहाड़ियों के बीच का एरिया दोनों पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर लाइनों के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर चौड़ाई वाले बफर बनाकर तय किया जाता है। फिर दोनों बफर पॉलीगॉन के इंटरसेक्शन को जोड़कर दोनों बफ़र पॉलीगॉन के बीच एक इंटरसेक्शन लाइन बनाई जाती है। आखिर में, इंटरसेक्शन लाइन के दोनों एंडपॉइंट से दो लाइनें परपेंडिकुलर खींची जाती हैं और उन्हें तब तक बढ़ाया जाता है जब तक वे दोनों पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर लाइन को इंटरसेक्ट न करें। जैसा कि बताया गया है, इन पहाड़ियों की सबसे निचली कंटूर लाइनों के बीच आने वाले सभी लैंडफॉर्म का पूरा एरिया, साथ ही पहाड़ियां, छोटी पहाड़ियां, सहायक ढलान वगैरह जैसी संबंधित विशेषताओं को भी अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा।

ये परिभाषाएं सिर्फ तकनीक नहीं हैं, बल्कि ये इकोलॉजिकल सुरक्षा उपाय भी हैं। यह साफ़ तौर पर पहचान करके कि अरावली पहाड़ी या रेंज में क्या शामिल है, ये सुनिश्चित करती हैं कि सभी जरूरी लैंडफॉर्म, ढलान और कनेक्टिंग हैबिटेट कानूनी सुरक्षा के तहत रहें, जिससे इकोलॉजिकल गिरावट को रोका जा सके।

- **भू-आकृतियों को पूरी तरह शामिल करना:** अरावली पहाड़ियों को स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची किसी भी भू-आकृति के रूप में परिभाषित करके, साथ ही उनके सहायक ढलानों को भी शामिल करके, पूरी इकोलॉजिकल यूनिट को सुरक्षित किया जाता है। यह मिट्टी की स्थिरता, पानी के रिचार्ज और वनस्पति आवरण के लिए जरूरी ढलानों या तलहटी के टुकड़ों में दोहन को रोकता है।
- **श्रेणियों की क्लस्टर-आधारित परिभाषा:** 500 मीटर की दूरी के भीतर की पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला में बांटा गया है। यह सुनिश्चित करता है कि घाटियां, बीच के ढलान और मुख्य चोटियों

के बीच की छोटी पहाड़ियां भी सुरक्षित रहें। पारिस्थितिक रूप से, यह आवासों की कनेक्टिविटी, वन्यजीव गलियारों और रिज सिस्टम की अखंडता की रक्षा करता है।

- **आधिकारिक टोपशीट पर मैपिंग:** पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं को चिह्नित करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शे का उपयोग करने से सीमाएं वस्तुनिष्ठ और लागू करने योग्य बनती हैं। इससे अस्पष्टता कम होती है और अवैध खनन या निर्माण के खिलाफ नियामक प्रवर्तन मजबूत होता है, जिससे यह वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनता है।
- **मुख्य/अछूते क्षेत्रों की सुरक्षा:** परिभाषा पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों से जुड़ी है, जिनमें संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, आर्द्रभूमि और सीएएमपीए वृक्षारोपण स्वचालित रूप से शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सबसे नाजुक और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र खनन या विकास के लिए वर्जित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 20/11/2025 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
    - हम एमओईएफएंडसीसी द्वारा दी गई अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा के संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हैं;
    - हम कोर/अछूते क्षेत्रों में खनन पर रोक के संबंध में भी सिफारिशों को स्वीकार करते हैं, सिवाय महत्वपूर्ण, रणनीतिक और परमाणु खनिजों (एमएमडीआर अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग बी में अधिसूचित परमाणु खनिज और भाग डी में अधिसूचित महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज) और एमएमडीआर अधिनियम 1957 की सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के मामले में;
    - हम अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं में टिकाऊ खनन के लिए सिफारिशों और अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं में अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को भी स्वीकार करते हैं;
    - हालांकि, हम एमओईएफएंडसीसी को निर्देश देते हैं कि वह भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) के माध्यम से पूरी अरावली के लिए एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान (एमपीएसएम) तैयार करे, यानी, जिसे गुजरात से दिल्ली तक फैली लगातार भूवैज्ञानिक रिज के रूप में समझा जाता है, जो सारंडा के एमपीएसएम की तर्ज पर हो और एमपीएसएण में ये बातें होनी चाहिए:
        - अरावली क्षेत्र में खनन के लिए अनुमत क्षेत्रों, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील, संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण और बहाली को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करें, जहां खनन पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी या केवल असाधारण और वैज्ञानिक रूप से उचित परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी;
        - कुल पर्यावरणीय प्रभावों और क्षेत्र की पारिस्थितिक वहन क्षमता का गहन विश्लेषण शामिल करें; और
        - खनन के बाद बहाली और पुनर्वास के विस्तृत उपायों को शामिल करें।

- हम आगे निर्देश देते हैं कि **<u>जब तक एमओईएफएंडसीसी द्वारा आईसीएफआरई के माध्यम से एमपीएसएण को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक कोई नई खदान लीज नहीं दी जानी चाहिए;</u>**
- हम आगे निर्देश देते हैं कि एमओईएफएंडसीसी द्वारा आईसीएफआरई के परामर्श से एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, खनन केवल उन्हीं क्षेत्रों में एमपीएसएण के अनुसार करने की अनुमति होगी जहां टिकाऊ खनन की अनुमति दी जा सकती है; और
- इस बीच, जो खदानें पहले से चालू हैं, उनमें खनन गतिविधियां रिपोर्ट में टिकाऊ खनन के संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सख्ती से पालन करते हुए जारी रहेंगी।

- **नई खदानों की लीज पर रोक:** क्योंकि अब यह परिभाषा लागू हो गई है, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब तक आईसीएफआरई झारखंड के सारंडा जंगलों के लिए तैयार की गई योजना की तर्ज पर टिकाऊ खनन के लिए खनन योजना (एमपीएसएम) तैयार नहीं कर लेता, तब तक कोई नई खदान लीज नहीं दी जाएगी। यह तुरंत होने वाले इकोलॉजिकल खतरों से बचाव का काम करता है।
- **लैंडस्केप-स्तर पर संरक्षण:** अरावली को एक लगातार भूवैज्ञानिक रिज मानकर, यह परिभाषा सिर्फ अलग-थलग पहाड़ियों को नहीं, बल्कि पूरे लैंडस्केप की रक्षा करती है। यह विखंडन से बचाता है, जो सबसे बड़े इकोलॉजिकल जोखिमों में से एक है।
- **इकोलॉजिकल कार्य सुरक्षित:**
  - थार रेगिस्तान के खिलाफ प्राकृतिक बाधा बनाए रखकर मरुस्थलीकरण को रोकता है।
  - पहाड़ियों और घाटियों में भूजल रिचार्ज जोन की सुरक्षा करता है।
  - ढलानों, चोटियों और बीच के इलाकों में जैव विविधता आवासों को बनाए रखता है।
  - दिल्ली-एनसीआर के "ग्रीन लंग्स" की रक्षा करता है जो हवा की गुणवत्ता और जलवायु को नियंत्रित करते हैं।

अरावली को कैसे बचाया जाता है

समिति के निष्कर्षों, जिन्हें बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी सही माना, अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की पहचान के लिए एक साफ वैज्ञानिक आधार देती हैं। ये निष्कर्ष, सख्त खनन नियमों और निगरानी के साथ मिलकर, यह पक्का करते हैं कि अरावली की इकोलॉजी सुरक्षित रहे और उस पर कोई खतरा न हो।

- **पारदर्शी, निष्पक्ष और वैज्ञानिक:** अरावली पहाड़ियों को स्थानीय राहत से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची भू-आकृतियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें उनकी सहायक ढलानें भी शामिल हैं। इससे कमियों को रोका जा सकेगा और यह सुनिश्चित होगा कि सभी असली पहाड़ी क्षेत्र कवर हों।

- **श्रेणियों की व्यापक मैपिंग:** 500 मीटर के दायरे में पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला में बांटा गया है, इसलिए बीच की घाटियां, ढलानें और छोटी पहाड़ियां भी सुरक्षित हैं।

- **मुख्य/अछूते क्षेत्र सुरक्षित:** संरक्षित क्षेत्रों, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों, टाइगर रिज़र्व, वेटलैंड्स और सीएएमपीए प्लांटेशन साइट्स में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- **कोई नई खनन लीज नहीं:** उच्चतम न्यायालय ने एक विस्तृत स्थायी खनन योजना (एमपीएसएण) तैयार होने तक नई खनन लीज पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
- **मौजूदा खानों का सख्त विनियमन:** मौजूदा संचालन को पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी और लगातार निगरानी का पालन करना होगा; उल्लंघन करने पर निलंबन हो सकता है।
- **अवैध खनन की रोकथाम:** ड्रोन, सीसीटीवी, वेइंगब्रिज और जिला टास्क फोर्स से निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि अनधिकृत गतिविधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
- **लैंडस्केप-स्तर की योजना:** आईसीएफआरई द्वारा तैयार की जाने वाली आगामी एमपीएसएम में अनुमेय और निषिद्ध क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन किया जाएगा और खनन के बाद बहाली अनिवार्य होगी।

खनन और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए सुरक्षा उपाय

उच्चतम न्यायालय द्वारा समर्थित निष्कर्षों में यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय बताए गए हैं कि खनन से अरावली की पारिस्थितिकी अखंडता से कोई समझौता न हो। इन सुरक्षा उपायों में संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्ण प्रतिबंध, टिकाऊ खनन प्रथाएं और अवैध संचालन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है।

खनन का विनियमन	मुख्य/अछूते क्षेत्रों की सुरक्षा
✓ **नए लीज (सामान्य खनिज):** तय प्रक्रिया के तहत अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में मैप किए गए क्षेत्रों में कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। ✓ **महत्वपूर्ण, रणनीतिक और परमाणु खनिज:** राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए, परमाणु खनिजों (पहली अनुसूची भाग बी), महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों (पहली अनुसूची भाग डी), और एमएमडीआर अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल खनिजों पर एक	**पूरी तरह से रोक वाले क्षेत्र:** ✓ **संरक्षित क्षेत्र:** जिसमें टाइगर रिजर्व और पहचाने गए कॉरिडोर शामिल हैं। ✓ **इको-सेंसिटिव जोन/क्षेत्र:** ईपीए, 1986 के तहत ड्राफ्ट या अंतिम ईएसजेड/ईएसए; जहां ईएसजेड प्रस्ताव लंबित हैं, वहां टी.एन. गोदावरमन मामले में उच्चतम न्यायालय के डिफ़ॉल्ट ईएसजेड निर्देशों को लागू करें। ✓ **बफर जोन:** संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1.0 किमी के भीतर कोई खनन नहीं, भले ही अधिसूचित ईएसजेड छोटा हो।

सीमित अपवाद लागू होता है; अन्य सभी सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे। ✓ **मौजूदा/नवीनीकरण लीज:** एक विशेषज्ञ टीम (वन, खनन और भूविज्ञान, स्थानीय प्रशासन, एसपीसीबी और डोमेन विशेषज्ञ) को ईसी/सीटीओ शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने, अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने और एसपीसीबी द्वारा निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करना होगा।	✓ **संरक्षण निवेश:** सीएएमपीए, सरकारी फंड, या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लगाए गए वृक्षारोपण वाले क्षेत्र। ✓ आर्द्रभूमि: 2017 के नियमों के तहत रामसर/आर्द्रभूमि से 500 मीटर की दूरी।
टिकाऊ खनन सुरक्षा उपाय	**अवैध खनन को रोकना**
✓ **वन भूमि की मंजूरी:** ईसी के अलावा वन मंजूरी (वन अधिनियम, 1980); क्षतिपूर्ति वनीकरण, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वन्यजीव योजनाएं, सुरक्षा-क्षेत्र ग्रीनबेल्ट, और मिट्टी-नमी संरक्षण अनिवार्य हैं। ✓ **पर्यावरणीय मूल्यांकन और ईसी:** टीओआर और मानक ईसी शर्तों के साथ ईएसी/एसईएसी मूल्यांकन, साथ ही साइट-विशिष्ट शर्तें; ईआईए अधिसूचना 2006, संशोधित प्रावधानों के अनुसार संचयी प्रभावों को संबोधित करने वाला मज़बूत ईआईए/ईएमपी। ✓ **अनुपालन निगरानी:** छह-मासिक रिपोर्ट; पहले वर्ष एमओईएफएंडसीसी आरओ, एसपीसीबी, एसईएसी, डीएमजी, वन, और सीजीडब्ल्यूबी/एसजीडब्ल्यूबी द्वारा संयुक्त निरीक्षण; अनुपालन न करने पर ईसी को निलंबित किया जा सकता है। ✓ **ऑडिट और प्रवर्तन:** एमओईएफएंडसीसी आरओ और एसपीसीबी द्वारा समय-समय पर जांच, ऑनलाइन निगरानी, पर्यावरण लेखा परीक्षक;	**ऑपरेशनल कंट्रोल:** ✓ **सिर्फ विनियमित खनन:** तय इलाकों में कड़ी शर्तों के साथ परमिट; बिना छेड़े गए इलाके वैसे ही रहेंगे। ✓ **निगरानी:** ड्रोन, सीसीटीवी (नाइट-विजन सहित), हाई-टेक वेब्रिज, पहुंच वाले रास्तों पर खाइयां और अवैध खनन रोकने के लिए खास पेट्रोलिंग। ✓ **शासन:** जिला-स्तर पर टास्क फोर्स (राजस्व, वन, पुलिस, खनन), टोल-फ्री शिकायत लाइनों वाले कंट्रोल रूम, और रोक और सजाओं की घोषणा करने वाले साइनबोर्ड। ✓ **लॉजिस्टिक्स की निगरानी:** डिस्पैच के लिए ई-चालान मैचिंग; ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की निगरानी के लिए एसपीसीबी के नेतृत्व वाली टीमें; किसी भी अवैध खदान को तुरंत बंद करना।

बार-बार उल्लंघन से ईसी/सीटीओ रद्द हो सकता है और जुर्माना लग सकता है। ✓ **भूजल सुरक्षा उपाय:** डीएआरके जोन के लिए या जब संचालन भूजल तक पहुंचता है तो एनओसी; जलभूविज्ञान और पुनर्भरण कार्यों की रक्षा करें। ✓ **सांस्कृतिक विरासत:** संरक्षित स्मारकों (जैसे, किले) के पास होने पर एएसआई से एनओसी।	

निष्कर्ष:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर किए गए प्रयासों से अरावली पहाड़ियां मजबूत सुरक्षा के तहत हैं। सरकार पारिस्थितिकी संरक्षण, सतत विकास और पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

खतरनाक दावों के विपरीत, अरावली की पारिस्थितिकी को कोई तत्काल खतरा नहीं है। वर्तमान में जारी वनीकरण, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचनाएं और खनन एवं शहरी गतिविधियों की कड़ी निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि अरावली देश के लिए एक प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिक ढाल के रूप में काम करती रहे। भारत का संकल्प स्पष्ट है: संरक्षण और जिम्मेदारी पूर्ण विकास के बीच संतुलन बनाते हुए अरावली को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

पीआईबी शोध